

पञ्चांक:- 10/म-62/2017... 39
शिक्षा विभाग, पंजाब, पटना।

प्रेषक,

आ० ८०० पं० 'रजा'
निदेशक (गांधीगिक शिक्षा)

रोडा गे.

अध्यक्ष,
केन्द्रीय गांधीगिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र, 2 काम्पुनिटी रोड़,
गई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय:- शी० ८०० ए०० पञ्चिक रकूल, बाईपारा बोर्ड, पक्षालिया ढाला, कंघवारा, रिवान को अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/संस्थिय/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शास्त्र-पत्र के राथ रांतग उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की रिथति निम्न प्रकार पाई गई :-

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है शी० ८०० ए०० पञ्चिक रकूल, बाईपारा बोर्ड, पक्षालिया ढाला, कंघवारा, रिवान को अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/संस्थिय/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शास्त्र-पत्र के राथ रांतग उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की रिथति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय रकूल शीतल रिंड जन कल्याण समिति के अधीन रांचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। रोसाइटी के ग्रत्येक शादरय का व्यौग दिया गया है तथा शाश्वत पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य नियंत्रित रोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 219.29 डिरामिल 50 वर्षों के लिज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय गांधीगिक शिक्षा बोर्ड को रक्तल निरीक्षण कर यह रुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 22 शिक्षक हैं। शी० ८०० ए०० ई००, नई दिल्ली को यह रुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के गापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे शी० ८०० ए०० ई००, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से राहगति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तों स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुरार:-

- (i) विद्यालय में कुल क्षणता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के वच्चों को किया जायेगा तथा उनसे दृगूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे वच्चों की श्रेणी में अनुरूपित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग यालिकाएं

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रुपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/केऽ जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किरी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता राहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/केऽ जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवारा की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी रु० ३०० एस० ५०, नई दिल्ली अपने रत्तर से जाँच कर सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही रु० ३०० एस० ५०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार डी० भी० एम० पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड़, पकवालिया ढाला, कंधवारा, सिवान को रु० ३०० एस० ५०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि रु० ३०० एस० ५० अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विद्यालयनाम

रु०/-

(आर० पी० एस० रंजन)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :-10/न-62/2017 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रु०/-

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक 15/11/18

ज्ञापांक :-10/न-62/2017..... ३९

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, डी० भी० एम० पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड़, पकवालिया ढाला, कंधवारा, सिवान को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
13/11/2018